Office of the Executive Engineer
Rural Works Department, Works Div.- Buxar.

Letter No..1705....... / Buxar Date..11/08/25..........

From,

Executive Engineer
Rural works Department
Works Division, Buxar.

To,

M/S GAUTAM CONSTRUCTION,
Prop.- Gautam Kumar Singh,
Vill.+P.O.- Mohadipur, P.S. - Jagdishpur,
Distt.- Bhagalpur - 813105
Email Id.-
Tender id – 142011
Bid id- 620215

Subject :- Letter of Accepted of Tender ID-2025_RWD_142011_1, Package No. **RRSMP/25-26 Buxar/01**

Ref:- Vide letter no. 700 Ara, dated- 06.08.2025

Dear Sir,

This is to notify you that your Bid dated 02.05.2025 for execution of the **Package No. RRSMP/25-26** (Tender ID-2025_RWD_142011_1) [name of the contract and identification number, as given in the Instructions to Bidders] for the Contract Price of Rupees. **55,45,864.00** **(Fifty Five Lakh Fourty Five Thousand Eight Hundred Sixty Four) only** [amount in words and figures], as corrected and modified in accordance with the Instructions to Bidders' is hereby accepted by our Agency.

We note that as per bid, you do not intend to subcontract any component of work.

You are hereby requested to furnish Performance Security including an additional security for unbalanced bid in terms of ITB clause 27.4 for an Amount **1,02,800.00 +1,11,000.00 = 2,13,800.00 (Two Lac Thirteen Thousand Eight Hundred only)** in shape of e-B.G (Electronic Bank Guarantee) vide department Letter No.- 1725 dated 08.05.2025 within 21 days in accordance with the conditions of Contract using for that purpose form in Section VIII annex D and sign the contract, failing which action as stated in Para 34.2 of ITB will be taken.

You are also requested to submit the following documents:

Note-: Validity of e-B.G (Electronic Bank Guarantee)

1. Rs. 1,11,000.00 = 7Yr 28 Days
2. Rs. 1,02,800.00 = 1Yr 28 Days

Faithfully
11.08.25
Executive Engineer
Rural works Department
Works Division, Buxar.

11/08/25 11/8/25

09.09.25
Executive Engineer
RWD (W) Div., Buxar

Scanned with CamScanner

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल आरा

पत्रांक 700 अनु0/आरा, दिनांक 06/08/2025

प्रेषक,

ई0 प्रवीण कुमार सिन्हा
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बक्सर।

विषय :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–RRSMP/25-26 Buxar/01 (टेन्डर आई0 डी0–142011) का पुनर्निमाण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य का निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक–1604 दिनांक–02.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–RRSMP/25-26 Buxar/01 (टेन्डर आई0 डी0–142011) का पुनर्निमाण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य का सफल न्यूनतम दर निविदाकार **M/S Gautam Construction** (बीड आई0डी0–620215) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -5.50% (पाँच दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत कम पर अर्थात रू0 55,45,864.00 (पचपन लाख पैतालीस हजार आठ सौ चौसठ रूपये) मात्र पर निम्न शर्तो के साथ कार्य आवंटित किया जाता है।

कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता अग्रधन का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

2. कार्य का निष्पादन 4515 MMGSUY (RRSMP) योजना की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरुप किया जायेगा।
3. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा ।
4. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित बैंक गारंटी/एन0एस0सी0 आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित कर संधारित किया जायेगा।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
6. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इनमें कमी पायी जाती है तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सुचना में उल्लेखित शर्त्त एकरारनामा का भाग होगा जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें की इसमें कोई त्रुटि नहीं है ।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्रावैधिक स्वीकृति के आसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

03.09.25
Executive Engineer
R.W.D. (W.) Div., Buxar

जीतेन्द्र कुमार सिंह

Scanned with CamScanner

11. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप, निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाय।

13. कार्य समाप्ति की अवधि एन0आई0टी0 के अनुसार होगी।

14. सफल संवेदक के साथ शीघ्रातिशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा । एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि उचित कार्रवाई की जा सके ।

15. इस कार्य का व्यय शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत राशि से विकलित होगा।

16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप मुख्य अभियंता–1 को उपलब्ध कराई जाय एवं ओन लाईन मोनेटरींग हेतु विभाग के उपलब्ध वेवसाईट पर प्रविष्टि की जाय।

17. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगें।

18. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जाएगें ।

19. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तों एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा ।

20. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

21. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है ।

22. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीध्र अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कारवाई स्थगित रखा जाय ।

23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शूद्धता की जाँच कर लेंगे । किसी प्रकार की भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे । तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे साथ ही यंत्र संयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी अश्वस्थ हो लेंगे ।

24. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है ।

25. संबंधित कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व वित्तीय बीड एवं कार्य आवंटन आदेश की दर एवं राशि की शुद्धता की जाँच कर लेंगे एवं त्रुटि होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

26. संबंधित कार्यपालक अभियंता एस0बी0डी0/एम0बी0डी0/सी0एम0बी0डी0 के प्रावधानों के अनुरुप संवेदक से एकरारनामा करने के पूर्व वांछित परफारमेन्स गारंटी की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे जो एकरारनामा का भाग होगा।

27. विभागीय पत्रांक–14/अ0प्र0–03–21/2021–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0: – यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा

06.08.25

09.09.25
Engineer

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– ग्रु०का० (ग्रा०उ०)4515 –01–157/2025 ·683 /पटना, दिनांक– 31·03·2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद में निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय की राशि के लिये योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद के अधीन तालिका में अंकित संबंधित कार्य प्रमंडल के योजनाओं के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित कुल राशि 05 करोड़ तक की है, पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है:–

Sl No.	District	Division	Block	Name of Road	Length (In Km)	Cost of Initial Rectification with Minor improvement, Strengthening and Widening and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (In lakhs)	Administrative Cost and Contigency Cost [@ 2.25% +1%] (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rohtas	Bikramganj	Bikramganj	Bikramganj Natwar PWD Road to Kolha Path	1.280	78.148	13.244	13.71	2.97	108.071
2	Rohtas	Bikramganj	Bikramganj	Bikramganj Dehri to Golpa Road	1.050	59.816	12.089	10.79	2.337	85.028
3	Rohtas	Bikramganj	Bikramganj	Ara- Sasaram PWD Road to Keshodih Path	2.390	149.325	21.669	25.65	5.202	201.845
4	Rohtas	Bikramganj	Bikramganj	Ara- Sasaram PWD Road Dhawa Pul to vyavahar Nyayalay Bikramganj	1.850	104.568	20.957	18.83	3.952	148.306
5	Rohtas	Bikramganj	Dinara	From NH-3 to Mohanpur via Lilvach	4.900	254.269	55.409	46.45	9.016	365.146
6	Rohtas	Bikramganj	Dinara	Barwan Dinara Path to Kaniyari	2.300	136.298	25.647	24.29	4.954	191.191
7	Rohtas	Bikramganj	Dinara	Kamari Bisrampur PMGSY Road to Turki	4.100	272.921	45.539	47.77	9.257	375.486
8	Rohtas	Bikramganj	Dinara	Rohtas Dinara Canal To Arang	2.100	108.894	21.661	19.58	4.09	154.228
9	Rohtas	Bikramganj	Dinara	Dinara Bikramganj PWD Road to Bhanas Path	2.200	158.566	24.569	27.47	5.537	216.142
10	Rohtas	Bikramganj	Sanjhauli	Amaithi Paliar Tola to Mashauna kali Mandir	3.330	245.231	34.868	42.02	8.207	330.321

अमित कुमार सिंह

09.09.25
Executive Engineer
R.W.D. (W.) Div., Buxar
9/9/25

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

S. No.	District	Division	Block	Name of Road	Length (In Km)	Cost of Initial Rectification with Minor Improvement, Strengthening and Widening and Surface Renewal (In Lakhs)	Cost of 5 years Operation & Management (O&M) cost (In Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (In lakhs)	Administrative Cost and Contigency Cost [@ 2.25% +1%] (In lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Samastipur	Rosera	Singhia	Sanhauka to Jamua Path	1.850	200.797	7.371	31.23	6.766	246.159
104	Samastipur	Rosera	Singhia	Wari Chowk to Wari Gaon	1.100	67.612	5.818	11.02	2.389	86.902
105	Samastipur	Rosera	Singhia	102 To Tenua (VRRR)	1.450	125.527	10.058	20.34	4.407	160.330
106	Samastipur	Rosera	Singhia	Subhash chowk to SH-88	1.450	97.228	8.083	15.80	3.422	124.530
107	Samastipur	Rosera	Singhia	L016 (Sonma) to Dashratlohi	1.850	134.365	16.172	22.58	4.892	178.009
108	Samastipur	Rosera	Singhia	SH 88 To Musepur	1.8	171.31	9.797	27.166	5.886	214.159
109	Samastipur	Rosera	Singhia	103 (Lalhaul) To Uttar Tola via Chimney	3.1	229.526	17.882	37.111	8.041	292.560
110	Gaya	Tikari	Tikari	L155-Tekari Mahmanna to usri (Track 155)	0.930	41.074	8.340	7.412	1.606	58.432
	Total				165.925	10872.266	1282.630	1823.223	390.634	14368.753

2. मांग संख्या–37–मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष –103–सामान्य मद के लिए योजना, उपशीर्ष –0121– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (सामान्य मद), विषय शीर्ष–5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड– 37–4515–00–103–0121, मूल बजट उपबंध–625 करोड़ रु0 है। निर्धारित Bank of Sanction के अतिरिक्त दिनांक 02.08.2024 एवं 22.01.2025 को लोक वित्त समिति द्वारा योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु क्रमशः राशि 1500 करोड़ रूपये एवं 16125 करोड़ रूपये की छूट दी गई है। वर्णित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण एवं कुल सात वर्षो तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।

3. इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्णित पथों के प्रशासनिक अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या–4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प संख्या– 1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प संख्या–1718 दिनांक 15.11.2024 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

4. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।

5. पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले सभी व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो को विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

7. वर्णित योजनाओं से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर की गई प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।

8. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

Executive Engineer
W.D. (W.) Div., Bu

9. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन नहीं है।

11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित दिशा निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स–समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

16. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

17. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।

18. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

19. सारणी में अंकित योजनाओं के **प्रशासनिक अनुमोदन** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0 (अ0उ0)4515–01–157/2025 के पृ0– 10 /टि0 पर दिनांक– 30/3/25 को प्राप्त है।

20. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–11 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0 (अ0उ0)4515 –01–157/2025 के पृ0– 11/टि0 पर दिनांक– 31.03.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

Executive Engineer
R.W.D. (W.) Div., Buxar
09.09.25

Scanned with OKEN Scanner